प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद–151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, शासकीय लेखे की संरचना बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं राज्य के घाटे/अधिशेष सहित राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन करता है।

3. इस प्रतिवेदन का अध्याय II, राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमे प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में विगत वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के मुख्य लेनदेनों का विश्लेषण करता है। सूचनाओं की प्राप्ति, पीएसयू, प्राधिकरणों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य विभाग आदि जहां कभी भी आवश्यक हो वहां से प्राप्त/उपयोग किया गया है।

4. इस प्रतिवेदन का अध्याय III, राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर समीक्षा करता है।

5. इस प्रतिवेदन का अध्याय IV, राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखे की गुणवत्ता पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है एवं निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन किए जाने की स्थिति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

6. इस प्रतिवेदन का अध्याय V, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, राज्य सरकार का पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूंजी इत्यादि पर एक वृहद दृष्टिकोण प्रदान करता है।

7. यह प्रतिवेदन विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेन–देनों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित टिप्पणियाँ एवं सांविधिक निगमों, बोर्डो एवं सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा परिणाम पर टिप्पणियों शामिल की गई हैं तथा प्रतिवेदन में राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ पृथक रूप से सम्मिलित की गई हैं।

लेखापरीक्षा कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।